

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 948 / 2015 / चित्तौड़गढ़.

मैसर्स राजस्थान स्टील इण्डस्ट्रीज, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़.अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-VI, चित्तौड़गढ़.प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17 / 11 / 2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 59/वेट/14-15/चित्तौड़गढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.12.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-षष्टम, वृत-चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.05.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत-चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 20.05.2014 को वाहन संख्या आर.जे.27/जीए-6084 को सेतु मार्ग, पेट्रोल पम्प के सामने 'प्लेन बोर्ड' खाली करते हुए चैक किया गया। माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित बिल संख्या RI/0213/14-15; बिल्टी संख्या 3972; गेटपास संख्या SJPL/0258 दिनांक 18.05.2014 एवं घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए संख्या 3506683 प्रस्तुत किये गये। परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी का होने से इसके साथ वैध घोषणा प्रपत्र वेट-47 होना आवश्यक था, जो नहीं पाया गया। इस बाबत जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा जाहिर किया गया कि भूलवश घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए लगा दिया गया है, तथा वेट-47 के लिये विभाग में आवेदन कर दिया गया है, प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।



लगातार.....2

साथ ही कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा माल उतारते समय चैक किया गया है, जिससे माल का गमनागमन समाप्त हो जाने के कारण वैट नियम 53(1) एवं धारा 76(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में वैट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों की अवहेलना मानते हुए आदेश दिनांक 20.05.2014 पारित करते हुए वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 72,197/- एवं वैट रूपये 33,693/- का आरोपण किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2014 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। दस्तावेजों के अनुसार ही माल का परिवहन किया जा रहा था। भूलवश घोषणा प्रपत्र वैट-47 के स्थान पर एस.टी.18ए संलग्न कर दिया गया, जिसमें उनकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। इसके अतिरिक्त माल का परिवहन समाप्त हो जाने के कारण वैट नियम 53(1) एवं धारा 76(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसके बावजूद सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति व वैट का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच माल को वाहन से अनलोड किया जा रहा था, अतः माल का गमनागमन समाप्त होना नहीं माना जा सकता। माल का परिवहन तभी समाप्त माना जाता है, जब माल की विधिवत् रूप से डिलीवरी प्रेषिति व्यवहारी को हो जाती है। अनलोड किये जाने तक माल में किसी भी प्रकार की कमी/टूट-फूट के लिये प्रेषक व्यवहारी जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में यह तर्क अस्वीकार्य है कि माल का



लगातार.....3

परिवहन समाप्त हो चुका था। प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 20.05.2014 को स्थापित किया गया है, जबकि वक्त जांच घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत किया गया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा 31.03.2006 से ही समाप्त किया जा चुका है। दिनांक 01.04.2006 से वेट अधिनियम प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप माल परिवहन के दौरान घोषणा प्रपत्र वैट-47 लगाना अनिवार्य है।

7. प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन पर यह विशिष्ट तथ्य प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा परिवहन के दौरान वैट अधिनियम की धारा 76(2) के तहत अनिवार्य घोषणा पत्र जो संलग्न किया गया था, वह अपीलार्थी को अप्रैल, 2005 में विभाग द्वारा जारी किया गया था एवं वर्ष 2006 के पश्चात् घोषणा पत्र वैट-47 प्रचलित किये गये थे, साथ ही 2006 से पूर्व के घोषणा पत्र स्वतः निरस्त हो चुके थे। परन्तु अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2014 में अर्थात् 9 वर्ष बाद उस घोषणा पत्र का उपयोग कर बचाव का अवसर लेने का प्रयास किया गया है। यह बिन्दु भी विचारणीय है कि अवसर देने के बावजूद भी नया घोषणा पत्र वैट-47 प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस तरह अपीलार्थी द्वारा पूर्ण ज्ञान के साथ 9 वर्ष पुराना घोषणा पत्र प्रयुक्त करना स्वयं यह प्रकट करता है कि घोषणा पत्र वैट-47 देने की मंशा नहीं थी। इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी के आदेश के तृतीय पृष्ठ के अन्तिम बिन्दु में यह उल्लेख भी किया गया है कि अपीलार्थी के नियमित कर निर्धारण अधिकारी ने यह सूचना भी दी है कि अपीलार्थी के पास घोषणा प्रपत्र वैट-47 उपलब्ध थे, जबकि प्रकरण में नोटिस के जवाब में भी यह बताया कि वे वैट-47 जारी करवाकर पेश करेंगे एवं उसके बाद भी पेश नहीं किया गया है।

8. उक्त पैरा 7 की तथ्यात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर स्वयं के पास वैट-47 उपलब्ध होने के बावजूद संलग्न नहीं किया था एवं वाद स्थापित होने के पश्चात् भी विधिक घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मैसर्स डी. पी. मैटल्स (2001) 124 एस.टी.सी. 611** में दी गई व्यवस्था की पालना नहीं की गई है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है।

9. प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की करापवंचन की मंशा को मद्देनजर रखते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। इसी प्रकार शास्ति राशि की सीमा तक अपीलार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।




लगातार.....4

10. जहां तक शास्ति आदेश में वैट आरोपित करने का प्रश्न है, उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वैट माल प्रेषक/प्रेषिति की पहचान घोषित नहीं होने की स्थिति में ही वैट अधिनियम की धारा 76(12) के तहत आरोपित किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रेषक/प्रेषिति दोनों ही पंजीकृत व्यवहारी हैं, अतः वैट आरोपण को अविधिक ठहराया जाता है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आरोपित वैट राशि रूपये 33,693/- की सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है तथा धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 72,197/- की सीमा तक सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।



(के. एल. जैन)

सदस्य